

सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति

विषयसूची

1. उद्देश्य और दायरा	2
2. 'सामग्री' सहायक कंपनी की पहचान.....	2
3. शासन फ्रेमवर्क	2
4. सामग्री का निपटान सहायक	3
5. का खुलासा नीति.....	4
6. नीति समीक्षा	4

1. उद्देश्य और गुंजाइश:

'भौतिक' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी एलओडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियमन 16 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

इस नीति का उपयोग कंपनी की भौतिक सहायक कंपनियों को निर्धारित करने और ऐसी सहायक कंपनियों के लिए शासन ढांचा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

सभी शब्द और भाव इस नीति में प्रयुक्त, जब तक कि इसके बाद परिभाषित न किया जाए, क्रमशः सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत और इसकी परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा। समय-समय पर यथासंशोधित।

2. सामग्री सहायक:

"सामग्री सहायक" का अर्थ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व) में परिभाषित कंपनी से होगा और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015।

3. शासन ढांचा:

- कंपनी के बोर्ड की ऑडिट समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी।
- गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों का विवरण कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
- प्रबंधन समय-समय पर असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का विवरण कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा।

"महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था" का अर्थ कोई भी व्यक्तिगत लेनदेन या व्यवस्था होगी जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन के लिए सामग्री असूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल संपत्ति या कुल देनदारियों, जैसा भी मामला हो, के दस प्रतिशत से अधिक या अधिक होने की संभावना है। वर्ष।

- एक स्वतंत्र निदेशक कंपनी का सामग्री गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी के बोर्ड पर एक निदेशक होगा।

- e. कंपनी का प्रबंधन वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा समिति को ऐसी सहायक कंपनियों की सूची विवरण सहित प्रस्तुत करेगा

यहां भौतिकता को परिभाषित किया गया है। लेखापरीक्षा समिति इसकी समीक्षा करेगी सामग्री गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश सहित बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

4. सामग्री सहायक का निपटान:

कंपनी यह नहीं करेगी:

- a. अपनी भौतिक सहायक कंपनी में शेयरों का निपटान करें, जिससे इसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) 50% से कम हो जाएगी या मामलों को छोड़कर, इसकी सामान्य बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना सहायक कंपनी पर नियंत्रण का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। जहां ऐसा विनिवेश किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत किया जाता है।
- b. बीस प्रतिशत से अधिक राशि की संपत्ति बेचें, निपटान करें और पट्टे पर दें विशेष समाधान के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी के बिना एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर सामग्री सहायक कंपनी की संपत्ति की बिक्री, जब तक कि बिक्री / निपटान / पट्टा किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत नहीं किया जाता है।

5. नीति का प्रकटीकरण:

इस नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट और ऐसे वेब लिंक पर किया जाएगा वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रदान किया जाएगा।

6. नीति समीक्षा:

यह नीति आवश्यक समझी जाने वाली और किसी भी नियामक संशोधन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

7. परिसीमा एवं संशोधन

अधिनियम या सेबी विनियम या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम इस नीति पर प्रभावी होंगे। इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।